

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

७/१०/१९

मिसल पेश हुई। वादी एवं उसके
अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं उसके
अधिवक्ता को आवाज दिलाई गई।
बाकमुद्दा आवाजों के साथ 6:00 बजे
वाद भी अनुपस्थित।

अतः वादी का वाद-पर अदम
दात्री एवं अदम पैली में खारेज
किया जा रहा है।

परावली के लिये अग्रिम
दस्तावेजों से कम है।

उत्तराखण्ड न्यायालय
(डिपार्टमेंट ऑफ़ ऑर्डर)
(आर) (आर) (आर) (आर) (आर)

[Faint handwritten notes and signatures]

न्यायालय न्यायाधीश का दायर है।
न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करना है।
न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करना है।